न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह यादव, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 61/2020

दायर तारीख : 23-06-2020

1. प्रेम देवी पत्नि जयराम जाति अहीर निवासी भगतपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

— अप्रार्थी /वादिया

बनाम

1. मूलचंद पुत्र रामनाथ
2. श्रीमती मीरा देवी पत्नि कैलाश चंद
3. श्रीमती सरती देवी पत्नि प्रकाश चंद
4. श्रीमती हंसा देवी पत्नि जयराम
5. जयराम पुत्र नारायण
6. फूला पुत्र मोहना
7. रामचन्द्र पुत्र नारायण
8. उमराव पुत्र रामदेव
9. सोहन पुत्र रामदेव
10. बद्रीप्रसाद पुत्र रामदेव
11. श्रीमती सजना पत्नि हनुमान
12. खामोशी पुत्री हनुमान
13. सीता पुत्री हनुमान
14. मनीषा उर्फ मन्ना पुत्री हनुमान

} समस्त जाति यादव निवासी भगतपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0

15. दीनदयाल पुत्र सूरजमल
16. सीताराम पुत्र सूरजमी
17. कमला देवी पुत्री सूरजमल
18. सुशीला देवी पुत्री सूरजमल

} समस्त जाति खटीक निवासी जाजैकलां तह0 शाहपुरा जिला जयपुर

19. मूलचंद पुत्र मोहनलाल जाति बलाई निवासी जाजैकलां तह0 शाहपुरा जिला जयपुर राज0।
20. अर्जून लाल पुत्र ओमकार जाति अहीर निवासी बागावास अहीरान तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
21. पटवारी, पटवार मण्डल बागावास अहीरान तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
22. उपपंजियक अधिकारी विराटनगर तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
23. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील विराटनगर जिला जयपुर

— प्रार्थीगण /प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एंव स्थाई निषेधाज्ञा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

उपस्थित : श्री गोपाल टांक, अधिवक्ता प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण
श्री ललित कुमार शर्मा, अधिवक्ता वादिया/अप्रार्थी

निर्णय प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी

निर्णय दिनांक :—10.03.2021

1. इस आदेश द्वारा प्रतिवादी/प्रार्थीगण प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का निर्णय किया जा रहा है।
2. प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण प्रस्तुत वाद में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता पेश कर निवेदन किया कि वाद ग्रस्त आराजी में वादिया प्रेम देवी का 1/35 हिस्सा रहा है। वादिया ने वाद ग्रस्त आराजी में अपने हिस्से 1/35 की भूमि को पूर्ण प्रतिफल राशि लेकर जरिये मुख्त्यारआम श्री सुभाष चन्द सैनी के दिनांक 26.06.2020 को क्रेता रजन्ता देवी पत्नि अर्जुन लाल जाति अहीर निवासी बागावास अहीरान तहसील विराटनगर जिला जयपुर को पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा बेचान कर कब्जा संभला दिया है। पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 26.06.2020 द्वारा रजन्ता देवी को वाद ग्रस्त आराजी में वादिया द्वारा 1/35 हिस्से की भूमि बेचान कर देने के बाद वादिया प्रेम देवी का वाद ग्रस्त आराजी में कोई खातेदारी हक अधिकार व हिस्सा तथा संबंध नहीं है और वादिया प्रेम देवी वाद ग्रस्त आराजी की सह खातेदार नहीं है। इस कारण वादिया को वाद ग्रसत आराजी का बंटवारा कराने का कोई अधिकार नहीं हैं। यह है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वाद ग्रस्त आराजी का सह खातेदार ही वाद ग्रसत आराजी के बंटवारे का वाद अन्य सह खातेदारों के विरूद्व दायर कर सकता है। वादिया प्रेम देवी प्रार्थना के जिमन नंबर 2 में वर्णित प्रकार से वाद ग्रसत आराजी की सह खातेदार नहीं है। इस कारण वादिया का प्रस्तुत वाद विधि द्वारा बाधित होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है। यह है कि वादिया ने प्रार्थना पत्र के जिमन नंबर 2 में वर्णित प्रकार से रजन्ता देवी को अपना हिस्सा 1/35 बेचान कर देने के कारण वादिया को वाद ग्रस्त आराजी के संबंध में कोई वाद कारण पैदा नहीं होते है। इस कारण भी वादिया का वाद, वाद कारण के अभाव में खारिज किए जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादिया का वाद विधि द्वारा बाधित होने व वाद कारण के अभाव में खारिज फरमाये जाने की कृपा करें।
3. प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की तरफ से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंदी ग्राम बनीपार्क खाता संख्या 8 संवत् 2074—2077, मुख्त्यारनामा आम, फोटो प्रति विक्रय पत्र दिनांक 26.06.2020 बहक रजन्ता देवी पत्नि अर्जुन लाल, फोटो प्रति विक्रय पत्र दिनांक 27.05.2020 बहक रजन्ता देवी पत्नि अर्जुन लाल आदि पेश किए है।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी विराट नगर, जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

4. अप्रार्थी/वादिया ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों का अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि वादिया उपर्युक्त भूमि के 1/35 हिस्से की खातेदार काश्तकार वर्तमान में है, जिसकी जमाबंदी वाद पत्र के साथ संलग्न है। वादिया अपने हिस्से पर काबिज रहकर उपयोग–उपभोग करती चली आ रही है। सुभाष सैनी द्वारा फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार किए गए है। तथा जालसाजी पूर्ण तरीके से सुभाष सैनी ने दस्तावेज रजनता के हक में तैयार किया है। सुभाष सैनी को वादिया की सम्पति को बेचने का काई अधिकार नहीं है। वादिया द्वारा दावा बाबत बंटवारा सही व अपने खातेदारी अधिकारों के तहत किया है। जो कि विधि सम्मत है। इन लोगों ने वादिया की भूमि को हडप करने की नियत से फर्जी दस्तावेज तैयार कर षडयन्त्र किया है। वादिया को वाद लाने तथा बंटवारा करवाने का पूर्ण अधिकार है, जिसकी वर्तमान खातेदारी जमाबंदी वाद पत्र के साथ संलग्न है।, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। वादिया वर्तमान में खातेदार काश्तकार है तथा अपनी आराजी पर काबिज रहकर उपयोग–उपभोग करती चली आ रही है। वादिया द्वारा अपने वाद पत्र के साथ हाल जमाबंदी पेश किया है, जिसमें वादिया 1/35 भाग की खातेदार काश्तकार हैं। तथा राजस्व रिकॉर्ड में नाम अंकित है। सुभाष सैनी ने वादिया के विरूद्व एक नाजायज संगठन बना रखा है तथा फर्जी दस्तावेज तैयार किया हैं। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य हैं। अतः जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाया जावें।

5. अप्रार्थी/वादी की तरफ से साक्ष्य दस्तोवजी के रूप में नकल आदेशिका व अपील प्रार्थना पत्र अपील संख्या 166/2020 उनवान अर्जुनलाल बनाम बद्रीप्रसाद, नकल टी.ए. संख्या 2320/2020 उनवान बद्रीप्रसाद बनाम जयराम, नकल निर्णय मुकदमा नंबर 2320/2020 उनवान बद्रीप्रसाद बनाम जयराम, नकल आदेशिका राजस्व मण्डल एवं प्रार्थना पत्र मुकदमा संख्या 4547/2020, नकल जमाबंदी ग्राम बनीपार्क खाता संख्या 8 संवत् 2074–2077, नकल नक्शा ट्रेस ग्राम बनीपार्क, नकल विकय्र पत्र दिनांक 27.05.2020 बहक अर्जुन लाल, फोटो प्रति आधार कार्ड प्रेम देवी आदि पेश किए है।

6. बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में लेख किया है कि ग्राम बनीपार्क के खाता संख्या 8 के खसरा नंबर 1309/0.41, 1310/0.50, 1312/0.67, 1313/0.66, 1314/0.52, 1315/0.58, 1316/1.04, 1317/0.18, 1318/0.15, 1319/0.16, 1320/0.17, 1321/0.01, 1323/0.05, 1325/0.37, 1326/0.44, 1327/0.57, 1328/0.35, 1329/0.21, 1330/0.30, 1331/0.26, 1334/0.25, 1335/0.33, 1339/0.60 हैक्टेयर कुल किता 23 कुल रकबा 8.78 हैक्टेयर में बंटवारा कर हिस्सा 1/35 वादिया को खसरा नंबर 1313 में उत्तरी–पश्चिमी तरफ की 0.2508 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

अधिवक्ता प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का कथन रहा कि वादिया ने वाद ग्रस्त आराजी में अपने हिस्से 1/35 की भूमि को पूर्ण प्रतिफल राशि लेकर जरिये मुख्त्यारआम श्री सुभाष चन्द सैनी के दिनांक 26.06.2020 को केता रजन्ता देवी पत्नि अर्जुन लाल जाति अहीर निवासी बागावास अहीरान तहसील विराटनगर जिला जयपुर को पंजीकृत विकय पत्र द्वारा बेचान कर कब्जा संभला दिया है। पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 26.06.2020 द्वारा रजन्ता देवी को वाद ग्रस्त आराजी में वादिया द्वारा 1/35 हिस्से की भूमि बेचान कर देने के बाद वादिया प्रेम देवी का वाद ग्रस्त आराजी में कोई खातेदारी हक अधिकार व हिस्सा तथा संबंध नहीं है और वादिया प्रेम देवी वाद ग्रस्त आराजी की सह खातेदार नहीं है। इस कारण वादिया को वाद ग्रस्त आराजी का बंटवारा कराने का कोई अधिकार नहीं हैं। यह है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वाद ग्रस्त आराजी का सह खातेदार ही वाद ग्रस्त आराजी के बंटवारे का वाद अन्य सह खातेदारों के विरूद्व दायर कर सकता है।

7. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों, का अवलोकन किया गया। ग्राम बनीपार्क के खाता संख्या 8 के खसरा नंबर 1309/0.41, 1310/0.50, 1312/0.67, 1313/0.66, 1314/0.52, 1315/0.58, 1316/1.04, 1317/0.18, 1318/0.15, 1319/0.16, 1320/0.17, 1321/0.01, 1323/0.05, 1325/0.37, 1326/0.44, 1327/0.57, 1328/0.35, 1329/0.21, 1330/0.30, 1331/0.26, 1334/0.25, 1335/0.33, 1339/0.60 हैक्टेयर कुल किता 23 कुल रकबा 8.78 हैक्टेयर की खातेदारी वादिया/अप्रार्थी एवं प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है, परन्तु वादिया ने उक्त वाद ग्रस्त आराजी का अपने हिस्से 1/35 का जरिये मुख्त्यारआम सुभाष सैनी पुत्र श्री लालचंद सैनी द्वारा रजन्ता देवी पत्नि अर्जुन लाल यादव को जरिये विकय पत्र दिनांक 26.06..2020 को विकय कर दी है, जिससे अब वादी/अप्रार्थी प्रेम देवी का आराजी मुतनाजा पर कोई हक अधिकारी नहीं होना साबित होता है। वादी/अप्रार्थी वाद ग्रस्त आराजी में सह खातेदारी नहीं होने के कारण वाद ग्रस्त आराजी में हिस्सा 1/35 की पृथक खसरा नंबर के घोषणा कराने के अधिकारी नहीं हैं। तथा जब वादिया ने अपना हिस्सा 1/35 बेचान कर ही कर दिया है तो वाद ग्रस्त आराजी के संबंध में कोई वाद कारण पैदा ही नहीं होते है। प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी की परिधि में आता है। एवं विधि द्वारा वर्जित होने से कतई चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाना न्यायसंगत पाता हूँ।

8. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का हस्तगत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार कर हस्तगत वादपत्र को खारिज किया जाता है।

निर्णय दिनांक 10.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी विराट नगर, जयपुर

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)
अज अदालत :— उपखण्ड अधिकारी मुकाम विराटनगर
बइजलास :— राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस.

1. प्रेम देवी पत्नि जयराम जाति अहीर निवासी भगतपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

— अप्रार्थी /वादिया

बनाम

1. मूलचंद पुत्र रामनाथ
2. श्रीमती मीरा देवी पत्नि कैलाश चंद
3. श्रीमती सरती देवी पत्नि प्रकाश चंद
4. श्रीमती हंसा देवी पत्नि जयराम
5. जयराम पुत्र नारायण
6. फूला पुत्र मोहना
7. रामचन्द्र पुत्र नारायण
8. उमराव पुत्र रामदेव
9. सोहन पुत्र रामदेव
10. बद्रीप्रसाद पुत्र रामदेव
11. श्रीमती सजना पत्नि हनुमान
12. खामोशी पुत्री हनुमान
13. सीता पुत्र हनुमान
14. मनीषा उर्फ मन्ना पुत्री हनुमान

(1 से 14) समस्त जाति यादव निवासी भगतपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0

15. दीनदयाल पुत्र सूरजमल
16. सीताराम पुत्र सूरजमी
17. कमला देवी पुत्री सूरजमल
18. सुशीला देवी पुत्री सूरजमल

(15 से 18) समस्त जाति खटीक निवासी जाजैकलां तह0 शाहपुरा जिला जयपुर

19. मूलचंद पुत्र मोहनलाल जाति बलाई निवासी जाजैकलां तह0 शाहपुरा जिला जयपुर राज0।
20. अर्जून लाल पुत्र ओमकार जाति अहीर निवासी बागावास अहीरान तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
21. पटवारी, पटवार मण्डल बागावास अहीरान तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
22. उपपंजियक अधिकारी विराटनगर तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
23. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील विराटनगर जिला जयपुर

— प्रार्थीगण /प्रतिवादीगण

मुकद्मा नम्बर/नजरसानी संख्या 61/2020 **दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा** यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रूबरू **श्री ललित शर्मा, अधिवक्ता, वादी** व हाजरी ....मिन जानिब मुद्दई रूबरू **श्री गोपाल टांक, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 20** कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश हुए।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

(मुहर: कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, विराट नगर, जयपुर)

सुना गया। हस्तगत वाद के संबंध में प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश किया है। वादिया ने उक्त वाद ग्रस्त आराजी का अपने हिस्से 1/35 का जरिये मुख्त्यारआम सुभाष सैनी पुत्र श्री लालचंद सैनी द्वारा रजन्ता देवी पत्नि अर्जुन लाल यादव को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 26.06.. 2020 को विक्रय कर दी है, जिससे अब वादी/अप्रार्थी प्रेम देवी का आराजी मुतनाजा पर कोई हक अधिकारी नहीं होना साबित होता है। वादी/अप्रार्थी वाद ग्रस्त आराजी में सह खातेदारी नहीं होने के कारण वाद ग्रस्त आराजी में हिस्सा 1/35 की पृथक खसरा नंबर के घोषणा कराने के अधिकारी नहीं हैं। तथा जब वादिया ने अपना हिस्सा 1/35 बेचान कर ही कर दिया है तो वाद ग्रस्त आराजी के संबंध में कोई वाद कारण पैदा ही नहीं होते है।

अतः हुक्म दिया जाता है कि प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी की परिधि में आता है। एवं विधि द्वारा वर्जित होने से कतई चलने योग्य नहीं है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का हस्तगत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार कर हस्तगत वादपत्र को खारिज किया जाता है।

निर्णय दिनांक 10.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

मुवलिक ....शून्य.......................... बाबत ....शून्य.................... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरत ....शून्य................. की सदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ....शून्य..... का अदा करें। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 10.03.2021** को जारी की गई।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

मुद्दई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा		स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प अरजी	
स्टाम्प बजह सबूत		महन्ताना वकील	
महन्ताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर		बवत इजराय	
बवत इजराय हुक्मनामा		हुक्मनामा	
		मुतजरिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

नोट :— इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिकी के जरिये दिखाया। फीस दर्ज करना चाहिए।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)